फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत..........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा ....मुकाम......................भादरा

किशोरीलाल बनाम अजीत आदि

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.ए. न० 22/26 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
11.03.2026	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील प्रार्थी की बहस, प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा घेउ के खाता सख्या 49/43) व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता संख्या 49/43 के खसरा सं0 480, 580 के कुल खसरे 2 की 6.450 है0 बारानी वादभूमि में अप्रार्थीगण मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादभूमि के किसी भी भू–भाग को रहन, बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल नही करें। यह आदेश बैंक राको एक्ट प्रकरण, वाप्कोस कार्य DILRMP व रास्ते के संबंध में लागू/प्रभावी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थी वकील अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 07 दिवस में पेश करें अन्यथा स्थगन आदेश स्वतः ही खारीज माने जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.04.2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा	
7/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण P.T. दिनांक 20.4.26 को पेश हो (हस्ताक्षर)	अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की तामील [illegible] 350 [illegible]
20/4/26	वकील वादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थीगण [illegible] पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते....तलबी दिनांक..11.5.26....को पेश हो (हस्ताक्षर)	[illegible]
23/04/26	पत्रावली आज वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश [illegible] वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:33:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम के हुक्म की तामील जारी हुआ
	मध्य वारिसी राजीनामा होने से मामला पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को इसी स्टेज पर जरिये विड्रा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कट की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Nidhi सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:33:09 IST
Reason: SelfAttested